

यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट खण्ड कोटकासिम अलवर

क्र. पोस्टपसिंह बनाम कुल्ला देवी
 प्रस्म मुकदमा 212 मु0नं0 117 सन् 2021

व हुक्म हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज


06.2021

प्रार्थी मय वकील उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी.एक्ट के तहत पेश किया। बहस एक पक्षीय सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली एवं सलंगन दस्तावेजात के अवलोकन व शपथ पत्र प्रार्थी से सन्तुष्ट होकर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध अप्रार्थीगण को आगामी पेशी दिनांक 05.7.2021 तक इस अमर से पाबन्द किया जाता है कि वो विवादित आ0ख0नं0 2193/1621/1. 3300है0 दर्ज खाता 195 वाके ग्राम कान्हडका तहसील कोटकासिम जिला अलवर वादी के बहामी बंटवारे हिस्से के रकबा मे किसी प्रकार से मजाहमत मदाखलत पैदा ना करे, बिना कानुनी रूप से तकसीम कराये रहन बय आदि से खुर्द बुर्द मुन्तकिल ना करे, राजस्व रिकोर्ड एवं मौका की यथावत स्थिती कायम रखे, ना ही प्रार्थी के बहामी बटवारे हिस्से कब्जे मे निर्मित पूराने मकानो के स्थान पर पूरानी नींव पर ही नव निर्माण करने मे किसी प्रकार से बाधा पैदा ना करे। जो भी उज्र हो तो असालतन वकालतन हाजिर अदालत होकर पेश करे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब करे। आयन्दा पत्रावली दिनांक 05.07.2021 को पेश हो।


 उपखण्ड अधिकारी
 कोटकासिम

5 ⁷/₃₁ वकूलाय फरीकेन अस्थित अधिवक्ता मोहन
 ने कार्य स्थगन किया हुआ है। मूखिया
 पालमा में दि० 2/8/21 को पेश होवे।
 Ch

27 ⁷/₃₁ प्रार्थी को दुर्जीकरण के प्रमाण पर पर पत्रावली पेश की गई।
 प्रार्थी ने अस्थाई निषेधाज्ञा से कोटकासिम के लिए कोई भी
 लिख पुरे नहीं है प्रार्थी का इच्छा की निवास आदि
 ने No objection लिख है इसलिए प्रार्थी दुर्जीकरण
 कोटकासिम के लिए अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक
 4.6.21 से उनके लिखे गए दुरप्रवाह को जारी है प्रार्थी
 को अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 2.8.21 को पेश की


 उपखण्ड अधिकारी
 कोटकासिम (अलवर)

2/10

अन्य तथ्यादी प्रमाणानी दिनांक 23.8.21 को पेश की

सेवा

24/8

दिनांक 23.8.21 का प्रमाण अवकाश होने के कारण प्राप्त दिनांक आज जो पेश हुई वही मर्यादा प्राप्त दिनांक 2.9.21 को पेश की

29/2

व्यक्ति कर्तव्य/उपस्थित बाकायदा अधिकारी बाहर पधारने में आयुक्त कर्तव्य दिनांक 11.11.21 को पेश की

11/21

प्रमाणनी का अद्यतन किया। प्रकरण लोक अदालत/कैम्प कोर्ट में निस्तारण योग्य होम में प्रमाणनी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट में दिनांक 9.11.21 को पेश हो।

प्रशासन कर्मचारी के लिए अधिसूचना-2021

24/11/21

प्रमाणनी कैम्प क्रान्ति में पेश हुई। दोनो पक्षकारो को आस्थादिनिषेधाज्ञा से ता: फैसला बाद पाबन्द किया जाता है प्रमाणनी फैसला सुमार लोक नम्बर से कम हो तथा बाद तकमीद सांगन बाद हो।

शिविर प्रभारा
गंगाधर घीणा
उपखण्ड अधिकारी
कोटकालि